



प्रेस नोट जनपद बागपत

दिनांक 17.01.2026

बागपत पुलिस ने 04 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस ने 04 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता-

1. मांगे पुत्र बरूकुद्दीन निवासी ग्राम अशरफाबाद थल थाना रमाला जनपद बागपत
2. जान मौहम्मद पुत्र यासीन निवासी ग्राम अशरफाबाद थल थाना रमाला जनपद बागपत



- 3- नदीम पुत्र हनीफ निवासी ग्राम द्योढी थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4- अंकित उर्फ दिल्ला पुत्र संतोष निवासी गली न0 5 बडौली रोड कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- थाना रमाला पुलिस टीम । (02 वारंटी)
- 2- थाना बडौत पुलिस टीम । (02 वारंटी)



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक-17.01.2026

**थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से 25 पच्चे देशी शराब बरामद ।**

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब बेचने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से 25 पच्चे देशी शराब बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

बहादूर पुत्र सुखवीर निवासी भगवानपुर थाना दोघट जनपद बागपत उम्र करीब 53 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

अभियुक्त के कब्जे से 25 पच्चे देशी शराब बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 विकुल कुमार थाना दोघट जनपद बागपत
- 2.है0का0 791 ब्रजेश कुमार थाना दोघट जनपद बागपत

3.है0का0 706 दयाचन्द थाना दोघट जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 17.01.2026

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 46/26 धारा 126(2),109(1),351,352 BNS में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल .32 बोर मय एक खोखा कारतूस .32 बोर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 15.01.2026 को थाना बडौत पर वादी श्री सुभाष कुमार पुत्र ईश्वर सिंह निवासी गाँव बावली थाना बडौत जनपद बागपत ने प्रार्थना पत्र दिया कि अभियुक्त अंकित कट्टा पुत्र नरेन्द्र निवासी गाँव बावली पट्टी मोल्हू थाना बडौत जनपद बागपत के द्वारा वादी के पुत्र नितिन व उसके साथी गौरव के बडौत से मोटरसाईकिल पर घर जाते समय रास्ते में उनकी मोटरसाईकिल रोककर गाली-गलौच करना व पूर्व मुकदमे में फैसला करने के लिये धमकी देना व वादी के पुत्र के इन्कार करने पर वादी के पुत्र नितिन व उसके साथी गौरव के ऊपर जान से मारने की नियत फायर करना जिससे दोनों का गम्भीर रूप से घायल हो जाना । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 46/2026 धारा 126(2),109(1),351,352 BNS पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 46/2026 धारा 126(2),109(1),351,352 BNS में वांछित 01

अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसकी निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल .32 बोर मय 01 खोखा कारतूस बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

अंकित कट्टा पुत्र नरेन्द्र निवासी गाँव बावली पट्टी मोल्हू थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल .32 बोर 01 खोखा कारतूस ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री संजीव चौधरी थाना बडौत ।
- 2-उ0नि0 श्री राकेश कुमार थाना बडौत ।
- 3- है0का0 59 वियपाल थाना बडौत ।
- 4- है0का0 820 अमित थाना बडौत ।
- 5-है0का0 362 अमरजीत थाना बडौत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 17.01.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 34/26 धारा 191(2)/190/109(1)/352 बी.एन.एस. में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.01.2026 को थाना कोतवाली बागपत पर आवेदक रोहित कुमार पुत्र श्री इन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम गाँव काठा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.काले पुत्र हरपी, 2.मोनू पुत्र हरपी, 3.कुलदीप पुत्र मदन, 4.गौरव पुत्र जसवीर,



5.अंकुर पुत्र राममेहर निवासीगण ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा वादी के घर के सामने आकर गाली-गलौच करते हुये जान से मारने की नियत से तमंचो से फायर किया गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 34/26 धारा 191(2)/190/109(1)/352 बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 34/26 धारा 191(2)/190/109(1)/352 बी.एन.एस. में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अंकुर पुत्र राममेहर निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत उम्र करीब 30 वर्ष

आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 582/2016 धारा 352/504/506/452 भादवि थाना बागपत
2. मु0अ0सं0 584/2016 धारा 25 ए एक्ट थाना बागपत
3. मु0अ0सं0 1095/2015 धारा 323 भादवि 3(1)10 एससी/एसटी अधि0 थाना बडौत

4. मु0अ0सं0 143/2018 धारा 506 भादवि 3(1)ए/3(2)v Sc/St ACT थाना बडौत
5. मु0अ0सं0 261/2018 धारा 25 आयुध अधि0 थाना बडौत
6. मु0अ0सं0 34/26 धारा 191(2)/190/109(1)/352 बी.एन.एस कोतवाली बागपत

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री वृक्षपाल सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-का0 1130 सोनू तेवतिया थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी

दिनांक 17.01.2026

**थाना बालैनी पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त कोस किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।**

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुए है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाये । यदि

ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. पिन्टू पुत्र रामपाल निवासी ग्राम उकसिया थाना रोहटा जनपद मेरठ उम्र करीब 35 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रमेश चन्द थाना बालैनी जनपद बागपत ।
2. उ0नि0 अनिल शर्मा थाना बालैनी जनपद बागपत ।

